

प्रपत्र-दो

विषय— दिनांक 1-1-2006 से 28-2-2009 के मध्य संशोधित वेतन ढांचे में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति, कमोन्नति या समयमान वेतनमान दिये जाने की स्थिति में वेतन निर्धारण के लिए विकल्प ।

कार्यालयीन आदेश क्रमांकदिनांक.....द्वारा
पदोन्नति/कमोन्नति/समयमान वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप संशोधित वेतन ढांचे में उच्च ग्रेड में वेतन निर्धारण के लिये निम्नानुसार विकल्प प्रस्तुत :-

(क) संशोधित वेतन ढांचे में निचले ग्रेड में वेतनवृद्धि (1 जुलाई) प्राप्त कर लेने के बाद उच्च ग्रेड में मेरा प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया जाए ।

अथवा

(ख) पदोन्नति/कमोन्नति/समयमान वेतनमान दिये जाने की दिनांक को संशोधित वेतन ढांचे में उच्च ग्रेड में मेरा वेतन पुनर्निर्धारित कर दिया जाए ।

हस्ताक्षर.....
नाम:
पदनाम.....
विभाग.....

प्रतिहस्ताक्षर

कार्यालय प्रमुख
पदमुद्रा सहित

प्रपत्र-तीन
वचन पत्र (Undertaking)

मुझे यह ज्ञात है कि दिनांक 01/01/2006 से स्वीकृत मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत मेरा जो वेतन नियतन अभी पुनरीक्षित वेतन ढांचे में किया गया है वह अनन्तिम (Provisional) है। मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं राज्य शासन को वह संपूर्ण राशि जो कि वेतन नियतन में अनियमित्ता के कारण तथा अन्य कोई भी धनराशि जो कि इस प्रकार वेतन नियतन के कारण मुझे अधिक भुगतान की गई हो, शासन के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित राशि वापस करूंगा/करूंगी तथा इस प्रकार की राशि मेरे देय स्वत्वों से जिनमें पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं अवकाश नगदीकरण की राशि भी सम्मिलित है, काटी जा सकेगी। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि यदि उक्तानुसार मेरे द्वारा देय राशि को मैं लौटाने में असमर्थ रहता/रहती हूँ तो इस देय राशि की वापसी के लिये मैं अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों को आबद्ध करता/करती हूँ। मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ कि मेरे द्वारा देय राशि मुझसे राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर ली जावे।

साक्षी :—

हस्ताक्षर
शासकीय कर्मचारी

हस्ताक्षर :—

पदनाम

पता :—

स्थान

दिनांक

दिनांक

प्रपत्र-चार
प्रतिभूति का प्ररूप

श्री / श्रीमती / कुमारी पदनाम
कार्यालय को
मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन ढॉके
में वेतन नियतन होने के कारण दिनांक से दिनांक तक रूपये
रूपये (शब्दों में) की अवशेष राशि (एरियर) का भुगतान
किया जा रहा है ।

हम श्री / श्रीमती / कुमारी एवं
श्री / श्रीमती / कुमारी कार्यालय
की स्थापना के स्थाई कर्मचारी हैं तथा कमशः वेतन राशि रूपये
(शब्दों में) रूपये प्रतिमाह आहरण करते हुये
श्री / श्रीमती / कुमारी को प्रतिभूति होने के लिये यह
सहमति प्रदान करते हैं कि यदि श्री / श्रीमती / कुमारी को उपरोक्तानुसार
एरियर्स का भुगतान होने जा रहा है, उसमें यदि शासन के नियम के अनुरूप अधिक
भुगतान होना पाया जाता है, एवं उक्त कर्मचारी अधिक भुगतान की गई राशि को
लौटाने में असमर्थ रहता है तो हम उसका भुगतान करेंगे और हम स्वयं को अपने
उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशतियों को इस प्रकार के भुगतान
हेतु आबद्ध करते हैं । हम यह भी सहमति देते हैं कि हमारे द्वारा देय राशि हमें दोनों
से संयुक्त रूप से या अलग-अलग भू-राजरख की बकाया के रूप में वसूल कर ली
जाये ।

आज दिनांक माह सन 2009 को
हस्ताक्षरित किया गया ।

साक्षी:-

हस्ताक्षर

1.....

1. प्रतिभूति के हस्ताक्षर

नाम व पद नाम.....

नाम

पदनाम

2.....

2. प्रतिभूति के हस्ताक्षर

नाम व पदनाम.....

नाम

पदनाम.....

प्रतिहस्ताक्षरित

नाम.....

(कार्यालय प्रमुख)

(X) जो लागू न हो उसे काट दीजिये